GOVERNMENT OF INDIA(BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS(RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)
*****

No.2001/TG.I/27/P. New Delhi, dated 18.10.2002.

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 92 of 2002)

Sub: Grant of HOR facility to Chief Minister, Ministers, Ministers of State and Chief Secretary of Uttranchal Government.

.....

Government of Uttranchal have intimated that as per Section 86 of Government of India's Act No. 29/2000(Re-constitution of Uttar Pradesh) Act. 2000, the Uttar Pradesh Ministers (Pay, Allowance and Misc Provision) Act 1981 and Uttar Pradesh Ministers (Travelling Allowance) Act 1997 Rules made thereunder will be applicable to the Government of Uttranchal (copy enclosed). Hence the High Official Requisition (HOR) facilities extended to the Chief Minister, Cabinet Ministers, Ministers of State and Chief Secretary etc. of Uttranchal will be same as admissible to their counterpart in the State of Uttar Pradesh.

Ministry of Railways, therefore, desire that the Chief Minister, Ministers/Ministers of State and Chief Secretary of Uttranchal may be permitted to avail the same accommodation as has been allowed to the Chief Minister, Ministers/Ministers of State of Uttar Pradesh while travelling on HOR. Necessary debits for the journeys undertaken will be raised against the heads mentioned in para 4 of the Secretary, Uttranchal's letter No. 728/transport/2002 dated 29.9.2002 (copy enclosed).

...2/-

Necessary instructions may please be issued to all concerned and receipt of this letter acknowledged,

(Dr. P.K. Goel)
Executive Director, Passenger Marketing,
Railway Board.

DA: As above.

No. 2001/TG-I/27/P New Delhi, dated 18.10.2002

Copy forwarded for information to the General Secretary, IRCA New Delhi. Necessary correction slip may please be issued to the Annexure 'F' of IRCA Coaching Tariff No. 25, Part-I dated 15 January, 1998.

(Dr. P.K. Goel)
Executive Director, Passenger Marketing,
Railway Board.

No. 2001/TG-I/27/P New Delhi, dated 18.10.2002

Copy to: Shri N. S.Napalchyal, Secretary, Uttranchal Administration, Transport Department, Dehradun, Uttranchal with reference to their letter No. 728/Transport/2002 dated 29.8.2002.

(Dr. P.K. Goel)
Executive Director, Passenger Marketing,
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2002/टी जी1/27/पी

नई दिल्ली, दिनांक18.10.2002.

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2002 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या)

विषय:- उत्तरांचल सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और मुख्य सचिव को एच.ओ.आर. सुविधा की मंजूरी देना.

उत्तरांचल सरकार ने सूचित किया है कि भारत सरकार के अधिनियम संख्या 29/2000 (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन) अधिनियम 2000 की धारा 86 के अनुसार उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और विविध प्रकीर्ण) अधिनियम 1981 और उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) 1997 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उत्तरांचल सरकार पर भी लागू होंगे(प्रतिलिपि संलग्न). अत: उत्तरांचल के मुख्य मंत्री, केबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और मुख्य सचिव इत्यादि उच्च अधिकारियों को दी जाने वाली यात्रा आरक्षण अधियाचना (एच ओ आर) की वहीं सुविधाएं स्वीकार्य होंगी जो उत्तर प्रदेश राज्य के उनके समकक्ष ओहदे के व्यक्तियों को स्वीकार्य हैं.

बहरहाल, रेल मंत्रालय वांछा करता है कि उत्तरांचल के मुख्य मंत्री, मंत्रियों/राज्य मंत्रियों और मुख्य सचिव को एच. ओ. आर. पर रेल यात्रा के दौरान वही स्थान प्राप्त करने की अनुमति दी गई है जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, मंत्रियों/राज्य मंत्रियों को प्राप्त हैं. यात्रा पर होने वाले अपेक्षित खर्च सचिव, उत्तरांचल के दिनांक 29.9.2002 के पत्र संख्या 728/ट्रांसपोर्ट/2002 के पैरा-4 (प्रतिलिपि संलग्न) में उल्लिखित शीर्षों के अनतर्गत ही किया जाएगा.

सभी संबंधि व्यक्तियों को आवश्यक अनुदेश जारी करें और इस पत्र की पावती दें.

(डा. पी. के. गोयल)
कार्यकारी निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक : यथोक्त.

संख्या: 2001/टी जी1/27/पी

नई दिल्ली, दिनांक 18 .10.2002.

प्रतिलिपि:- जनरल सेक्रेटरी, आई आर सी ए नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित. कृपया भा. रे. सं. की दिनांक 15 जनवरी, 1998 की कोचिंग दर सूची संख्या 25 के अनुबंध एफ की संशोधन पर्चा जारी करें.

प्रदीप

(डा. पी. के. गोयल)
कार्यकारी निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड.

संख्या: 2001/टी जी1/27/पी

नई दिल्ली, दिनांक 18 .10.2002.

प्रतिलिपि:- श्री एन एस नपलच्याल, सचिव, उत्तरांचल प्रशासन, देहरादून, उत्तरांचल को उनके दिनांक 29.8.2002 के पत्र संख्या 728/ट्रांसपोर्ट/2002 के संदर्भ में.

प्रदीप

(डा. पी. के. गोयल)
कार्यकारी निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड.

संख्या–728/परिवहन/2002

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
सचिव।

सेवामें,

सचिव,
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),
भारत सरकार, रेल मंत्रालय,
नई दिल्ली।

परिवहन अनुभाग दिनांक, देहरादून, 21 अगस्त,2002

विषयः– उत्तरांचल सरकार के मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मंत्रिगण/मा0 राज्य मंत्रीगण एवं मुख्य सचिव को एच0ओ0आर की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 2001/टी0जी0 1/27/पी, दिनांक 25.02.2002 के उत्तर में आपके संज्ञान में यह लाने का मुझे निदेश हुआ है कि भारत सरकार के अधिनियम संख्या–29/2000 (उत्तर प्रदेश पुनर्गठन) अधिनियम–2000 की धारा–86 के अनुसार ''उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 तथा उसके अन्तर्गत बनी ''उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997'' के प्राविधान उत्तरांचल राज्य में लागू हैं।

2. भारत सरकार के उपरोक्त अधिनियम की धारा–86 का उद्धरण तथा उत्तर प्रदेश के उपरोक्त अधिनियम व उसके अधीन बनी उपरोक्त नियमावली की प्रतियां संलग्न है। इसके साथ ही उत्तरांचल राज्य के मंत्रिमण्डल के मा0 सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति भी संलग्न है। उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तरांचल राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति विषयक अधिसूचना की प्रति भी संलग्न है।

3. उक्त कम में निवेदन है कि उत्तरांचल राज्य के मुख्यमंत्री, उत्तरांचल राज्य के मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों (मंत्री व राज्य मंत्री) तथा उत्तरांचल के मुख्य सचिव के लिये एच0ओ0आर0 की सुविधा अनुमन्य

कराये जाने विषयक रेल मंत्रालय के आदेश कृपया निर्गत करने का कष्ट करें।

4. इस सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य के मंत्रियों जिसमें मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित हैं, पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लेखाशीर्षक ''2013–मंत्रिपरिषद–03–मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का यात्रा व्यय–04–यात्रा व्यय'' की मद से तथा मुख्य सचिव, उत्तरांचल पर उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2002–2003 के लेखाशीर्षक ''2052–सचिवालय–सामान्य सेवायें–090–सचिवालय–00–आयोजनेत्तर–03–सचिवालय अधिष्ठान–04–यात्रा व्यय'' की मद से भुगतान किया जायेगा।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
सचिव।

प्रतिलिपि स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल शासन, 104, इन्द्रप्रकाश भवन, 21– बाराखम्बा रोड़, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आप भी अपने स्तर से रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त विषय पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कराते हुये रेल मंत्रालय, भारत सरकार से जारी होने वाले आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करके शासन को भेजने का कष्ट करें।

2. प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण/सचिवालय प्रशासन विभाग/अपर सचिव, गोपन को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रतिलिपि समस्त निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मंत्रिगण/मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(एन0एस0नपलच्याल)
सचिव।

बोर्ड की अधिकारिता।

82. (1) बोर्ड साधारणतया संबद्ध राज्यों को जल या विद्युत का प्रदाय करने के लिए आवश्यक जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना), नहरी नेटवर्क के भाग और पारेषण लाइनों पर धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट परियोजनाओं में से किसी के बारे में अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि उपधारा (1) के अधीन उसमें निर्दिष्ट किसी परियोजना पर बोर्ड की अधिकारिता है अथवा नहीं, तो उसे केन्द्रीय सरकार को उस पर विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति।

83. बोर्ड, निम्नलिखित का उपबन्ध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत हों—

(क) बोर्ड के अधिवेशनों के समय और स्थान का तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी को शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन;

(ग) बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों का विनियमन;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियम बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

यमुना नदी के जल संसाधनों का आबंटन।

84. (1) तारीख 12 मई, 1994 को वचनबंध ज्ञापन के अधीन विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य को नियत दिन से पूर्व यथाआबंटित ओखला तक यमुना नदी के उपयोग करने योग्य जल संसाधनों का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच दो वर्ष की अवधि के भीतर पारस्परिक करार द्वारा और आबंटन किया जाएगा जिसके न होने पर केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच एक वर्ष की और अवधि के भीतर ऐसे जल संसाधनों के आबंटन का अवधारण करेगी।

(2) उत्तरांचल राज्य को नियत दिन से ही उपधारा (1) में निर्दिष्ट वचनबंध ज्ञापन के क्रियान्वयन के लिए गठित अपर यमुना बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

भाग 10

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

1956 के अधिनियम 37 की धारा 15 का संशोधन।

85. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में नियत दिन से ही खंड (ख) में ''उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश'' शब्दों के स्थान पर ''उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और मध्य प्रदेश'' शब्द रखे जाएंगे। 1956 का 37

विधियों का राज्य क्षेत्रीय विस्तार।

86. धारा 2 के उपबंधों की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि उनसे उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1961 और कोई विधि विस्तारित होती है या लागू होती है, कोई परिवर्तन हुआ है और ऐसी किसी विधि में उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राज्य क्षेत्रीय निर्देशों का, जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंधित न कर दिया जाए, तब तक वही अर्थ लगाया जाएगा मानो वे नियत दिन के पूर्व विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर हैं। 1961 का उ० प्र० अधिनियम 9

विधियों के अनुकूलन की शक्ति।

87. नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व आदेश द्वारा विधि के ऐसे अनुकूलन तथा उपांतर चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में हों, जैसा आवश्यक या समीचीन हो, कर सकेगी और तब ऐसी प्रत्येक विधि, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दी जाए, तब तक इस प्रकार किए गए अनुकूलनों या उपांतरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में ''समुचित सरकार'' पद से अभिप्रेत है संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित किसी विधि के बारे में केन्द्रीय सरकार; और किसी अन्य विधि के बारे में उसके किसी राज्य को लागू होने की दशा में, राज्य सरकार।

विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति।

88. इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 87 के अधीन कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवर्तित करने के लिए

संख्या—500

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 3 अक्तूबर, 1981

आश्विन 11, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 2545/सत्रह–वि–1–103–81

लखनऊ, 3 अक्तूबर, 1981

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पर दिनांक 1 अक्टूबर, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 1981]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

परिभाषायें 2—इस अधिनियम में,

(क) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

(ग) "परिवार" का तात्पर्य किसी मंत्री के संबंध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो ऐसे मंत्री के साथ रहते हों और उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों;

(घ) "अनुरक्षण" के अन्तर्गत किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में, स्थानीय रेट और करों का भुगतान करना और जल और विद्युत् शुल्क सहित विद्युत् की व्यवस्था करना भी है;

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के उपमंत्री भी हैं।

वेतन 3—(1) प्रत्येक मंत्री और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक हजार रुपए प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त छः सौ पचास रुपये प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट वेतन उस कर के अतिरिक्त होगा जो उस वेतन (जिसके अन्तर्गत परिलब्धियाँ भी हैं) के संबंध में आयकर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय हो और ऐसे कर का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायगा।

निवास स्थान 4—(1) प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिये लखनऊ में निवास-स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार, सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायगा।

(2) जहां किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करे, वहां वह (क) उपमंत्री की स्थिति में, तीन सौ रुपये प्रति मास, और (ख) किसी अन्य स्थिति में पांच सौ रुपये प्रति मास की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

मोटर गाड़ी 5—(1) प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिये शोफर की व्यवस्था की जायगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी का उपयोग करने के लिये निर्बंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जायें।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय किसी उप मंत्री को दी गयी मोटर गाड़ी विधिमान्य रूप से दी गयी समझी जायगी।

यात्रा भत्ता आदि 6—(1) उप मंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिये उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में, (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गई यात्रा हेतु उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक मंत्री—

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के संबंध में, और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से, लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के संबंध में, अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने और अपने परिवार के सामान के परिवहन के लिये यात्रा-भत्ता का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुए भी किसी मंत्री को धारा 5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सर्किट हाउस आदि का उपयोग

7—प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृह का प्रयोग करने का हकदार होगा।

चिकित्सा सुविधा

8—प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में निःशुल्क आवास और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं, चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

मंत्री के पद पर नियुक्ति और उसकी रिक्ति की अधिसूचना

9—जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या नहीं रहता है उसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मंत्री बना या नहीं रह गया।

कोई वृत्ति करने का निषेध

10—कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान जिसके लिये वह वेतन और भत्ता लेता है, मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या कोई व्यापार या पारिश्रमिक के लिये कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 के अधीन सुविधायें।

11—प्रत्येक मंत्री जो, यथास्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 4, 9, 18 और अध्याय आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा।

वेतन आदि का त्याग

12—कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनको वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है :

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय, अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

नियम बनाने की शक्ति

13—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) धारा 14 द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नये नियमों द्वारा निरसित न किया जाय।

निरसन

14—उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

क्रम-संख्या—391 (क-1)

रजि० नं०-एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 13 अक्तूबर, 1997

आश्विन 21, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

गोपन अनुभाग—1

संख्या 2/1/1/87-सी०एक्स०-(1)

लखनऊ, 13 अक्तूबर, 1997

अधिसूचना

नियम

सा०प०नि०-121

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981) की धारा 6 और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित सन् 1981 के उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 2/1/2/81-सी०एक्स० (1) यू०पी०ए०-14/1981 रूल्स-1982, दिनांक 17 अगस्त, 1982 और संख्या-2/1/1/1981-सी०एक्स०-(1), दिनांक 1 अगस्त, 1983, जिसके द्वारा क्रमशः उत्तर प्रदेश उपमंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1982 और उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1983 प्रकाशित की गयी थी का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 कही जायगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

उप मंत्री द्वारा पदीय कर्तव्यस्थ यात्रा

2—कोई उपमंत्री, उस मंत्री को, जिससे वह सम्बद्ध हो, सूचना देकर राज्य के भीतर किसी स्थान की कर्तव्यस्थ यात्रा कर सकता है और सरकार की पूर्व स्वीकृति से राज्य के बाहर किसी स्थान की कर्तव्यस्थ यात्रा कर सकता है। लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिये, राज्य के बाहर किसी यात्रा के

संबंध में सरकार की स्वीकृति की एक प्रति उपमंत्री के यात्रा भत्ता बिल से संलग्न की जाय।

रेल द्वारा यात्रा की सुविधा

3--(1) जब उपमंत्री से भिन्न कोई मंत्री रेल द्वारा यात्रा करता है, तब वह निम्नलिखित को हकदार होगा:--

(क) उस रेल गाड़ी में जिससे यात्रा की जाय, उपलब्ध उच्चतम श्रेणी के आरक्षित डिब्बा (कम्पार्टमेन्ट) का,

(ख) यदि स्थितिवश अत्यावश्यक प्रतीत हो तो विशेष सवारी-डिब्बा (स्पेशल कैरिज) का, यदि उपलब्ध हो,

(ग) चार से अनधिक वैयक्तिक परिचारकों को निम्नतम् श्रेणी के किराये के दर से वास्तव में दिये गये रेल के किराये का, चाहे वे उनके साथ या उनके पहले, या पश्चात् यात्रा करें,

(घ) समस्त निजी सामान के परिवहन का, चाहे उसे रेल गाड़ी के सामान यान (लगेज वैन) में ले जाया जाय या किसी अन्य रेल गाड़ी से भेजा जाय।

(ङ) मोटर कार की सवारी का सम्पूर्ण व्यय, यदि उसका प्रयोग केवल लोक हित में की गयी यात्रा के लिये किया गया हो,

टिप्पणी--(एक)--कोई मंत्री इस उप नियम के अधीन, आरक्षित स्थान में जितने व्यक्तियों का स्थान आरक्षित करने के लिये रेलवे ने किराया लिया हो उतने व्यक्तियों के किराये का भुगतान किये बिना अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों और अपने निजी सचिवों या ऐसे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को, जो उनके साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करें, ले जा सकते हैं। उन परिस्थितियों के सिवाय, जो निम्नलिखित टिप्पणी (3) में विनिर्दिष्ट हैं, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों के मामले में, जो आरक्षित स्थान में रेलवे द्वारा स्वीकृत संख्या से अधिक यात्रा कर रहे हैं, उनका किराया रेलवे को सीधे अदा किया जायगा और ऐसे मामले में, स्थान आरक्षित कराने वाले मंत्री को चाहिए कि वे यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व ऐसे व्यक्तियों के लिये खरीदे गये टिकटों की संख्या और अन्य ब्यौरा उस स्टेशन के जहां से यात्रा प्रारम्भ की जाय, स्टेशन मास्टर द्वारा अधिग्रहण प्रपत्र में दर्ज करा लें। ऐसा करना इसलिये आवश्यक है कि मंत्री के साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करने वाले अन्य व्यक्तियों के संबंध में रेलवे को दोहरा भुगतान न हो जाय।

(दो) कोई निजी सचिव या कोई अन्य सरकारी सेवक, जो मंत्री के साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करता है, यात्रा में रेल मील भत्ता (माइलेज) के उस अंश के लिये हकदार नहीं होगा जो उस श्रेणी के स्थान के टिकट के मूल्य के बराबर है जो सामान्य रूप से उसे अनुमन्य हो, जब तक उसका मामला निम्नलिखित टिप्पणी (3) के अन्तर्गत न आता हो।

(तीन) जहां तक किसी निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक या लिपिक को लोक हित में मंत्री के साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करना आवश्यक हो, वहां वह ऐसा कर सकता है भले ही आरक्षित स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उस संख्या से पहले से ही अधिक हो जिसके लिये रेलवे द्वारा स्थान आरक्षित करने के लिए किराया ले लिया गया है, परन्तु वह उस श्रेणी के स्थान के लिये टिकट खरीदे जिसमें यात्रा करने के लिये वह हकदार हो। ऐसे मामले में, मंत्री उसके यात्रा भत्ते के बिल पर यह प्रमाणित करेंगे कि निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक या लिपिक ने लोक सेवा के हित में उनके साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की और उसने वास्तव में उस श्रेणी का टिकट खरीदा जिसके लिये वह हकदार था। रेलवे को स्थान आरक्षित करने के लिये कर्षण संबंधी जो प्रभार देना पड़ता है उसमें से टिकट का मूल्य घटाया नहीं जायगा।

(चार) जहां यात्रा वातानुकूलित डिब्बे में की जाय, वहां साधारणतः केवल दो बर्थ वाला कूपे, यदि उपलब्ध हो, आरक्षित किया जायगा।

(2) कर्तव्यस्थ रेल द्वारा यात्रा के लिये कोई उपमंत्री वातानुकूलित डिब्बे का हकदार होगा और साधारणतया केवल दो बर्थ वाला कूपे, यदि उपलब्ध हो, आरक्षित किया जायगा। वह अपने साथ, किसी किराये का भुगतान किये बिना, अपने परिवार के उतने सदस्य या उतने गैर सरकारी व्यक्ति को ले जा सकता है जितने व्यक्तियों के लिये रेलवे ने उस स्थान को आरक्षित करने का किराया लिया हो।

4—(1) उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर, किन्तु भारत के भीतर हो, अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में की गयी यात्रा के लिये फुटकर खर्च का हकदार होगा। फुटकर खर्च

(2) उप मंत्री को विराम के दिनों के लिये एक सौ साठ रुपये प्रतिदिन की दर पर फुटकर खर्च अनुमन्य होगा और उन्हें अलग से कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य न होगा। फिर भी उन्हें उच्चतम वर्ग के सरकारी सेवकों को अनुमत दरों पर आनुषंगिक व्यय अनुमन्य होगा।

5—उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री रेल का उतना किराया पाने का भी हकदार होगा जितना उनके परिवार के उन सदस्यों के लिये वास्तव में दिया गया हो जो उनके सामान्य निवास स्थान से उनके सरकारी मुख्यालय तक या सरकारी मुख्यालय से उनके सामान्य निवास स्थान तक उनके साथ या उनसे पहले या उनके बाद यात्रा करें: उप मंत्री से भिन्न मंत्री के परिवार के सदस्यों द्वारा रेल से यात्रा करने की व्यवस्था

परन्तु यह रियायत एक कलेण्डर वर्ष में उनके सरकारी मुख्यालय और सामान्य निवास-स्थान के बीच एक-एक बार आने-जाने के किराये के लिये ही दी जायगी।

6—(1) जब उप मंत्री से भिन्न मंत्री सड़क से यात्रा करें, तब उन्हें अपना, अपने परिवार के सदस्यों और दो वैयक्तिक परिचारकों का वास्तविक यात्रा व्यय अपने इस आशय के प्रमाण-पत्र पर जो कि जो धनराशि ली जा रही है। उसका वास्तव में भुगतान किया गया है, लेने का हक होगा। ऐसे व्यय के अन्तर्गत या निजी सामान से भिन्न स्टोर या सामान के भाड़े का कोई प्रभार या जलपान, होटल या यात्री (स्टेज) बंगलों का कोई प्रभार नहीं है। मंत्री को सड़क द्वारा यात्रा की सुविधा

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनों के लिये दौरे पर उपभोग के लिये जो सामान (स्टोर) ले जाया जायगा उसे निजी सामान समझा जायगा।

(2) (क) यदि कोई उप मंत्री किसी कार से या सवारी के किन्हीं अन्य साधनों से, जो उसके स्वयं के हों या उसने किराये पर लिये हों, यात्रा करता है तो वह फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड तीन के नियम 27 (बी) के अधीन, सिवाय दैनिक भत्ता के, जिसके स्थान पर वह नियम 4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर फुटकर खर्च आहरित करेगा, यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है।

(ख) यदि कोई उप मंत्री अपनी कार द्वारा यात्रा करता है और उसके चलाये जाने के व्यय का भुगतान किसी अन्य उप मंत्री या सरकारी सेवक द्वारा, जो उसके साथ यात्रा करता है, कर दिया जाता है तब वह नियम 4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर केवल फुटकर खर्च पाने का हकदार होगा,

(ग) यदि उप मंत्री किसी ऐसी कार से या सवारी के अन्य साधन से जो स्वयं उसका नहीं है या उसके द्वारा किराये पर नहीं लिया गया है तो वह नियम 4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर केवल फुटकर खर्च पाने का हकदार होगा।

(घ) ऐसी मिली-जुली यात्राओं के लिये जो अंशतः निजी या किराये पर ली गयी सवारी द्वारा और अंशतः मांगी गयी सवारी द्वारा या राज्य, स्थानीय निधि या स्थानीय निकाय के व्यय पर व्यवस्थित सवारी द्वारा की जाय तो उप मंत्री प्रत्येक प्रकार की यात्रा के लिये, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन अलग-अलग यात्रा के रूप में इस शर्त के अधीन यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा कि वह उससे अधिक यात्रा भत्ता आहरित नहीं कर सकता जितना कि वह आहरित करता यदि उसने दोनों यात्राओं की कुल दूरी अपनी निजी कार या किराये पर ली गई कार द्वारा तय की होती।

(ङ) जब कोई उप मंत्री किसी अन्य उप मंत्री या सरकारी सेवक के साथ संयुक्त रूप से कार किराये पर लेता है और उसका उपयोग सड़क यात्रा में करता है तब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड तीन के नियम 27 (बी) के अधीन यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु उप मंत्री दैनिक भत्ता के स्थान पर नियम 4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर फुटकर खर्च पाने का हकदार होगा।

टिप्पणी:—मांगी हुई ऐसी कार जिसके चलाये जाने के व्यय का भुगतान उसका उपयोग करने वाले उप मंत्री द्वारा किया जाय, किराये पर ली गयी कार के समान होगा।

वायुयान द्वारा यात्रा

7—(1) (क) उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री भारत के किसी भी भाग में किसी सार्वजनिक वायुयान परिवहन कम्पनी के जो नियमित रूप से किराये पर वायुयान चलाती हो, वायुयान में, या ऐसे वायुयान में जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा किराये पर लिया गया हो, कर्तव्यों के पालन के लिये यात्रा कर सकते हैं और ऐसी यात्रा में अपने साथ एक सहवर्ती ले जा सकते हैं।

(ख) जब ऐसे मंत्री वायुयान से यात्रा करें, तब वह वायुयान से यात्रा करने के लिये अपने और अपने साथी के लिये यदि कोई हो, वास्तविक किराया, भुगतान करने पर और निजी सामान के रेल द्वारा, पैसिंजर गाड़ी की दर से, या सड़क द्वारा या वायुयान द्वारा परिवहन का व्यय, वस्तुतः भुगतान करने पर, और दो से अनधिक व्यक्तिगत परिचारकों के लिये रेल का निम्नतम श्रेणी की दर से किराया, वस्तुतः भुगतान करने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि ऐसे मंत्री को वायुयान द्वारा की जाने वाली यात्रा के दोनों सिरे पर रेल या सड़क से कोई सम्बद्ध यात्रा करनी हो तो वह ऐसी यात्रा के लिये उपर्युक्त नियम 5 के अधीन अनुमन्य यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा :

किन्तु उस स्थलीय परिवहन के संबंध में कोई भत्ता नहीं लिया जायगा जो वायुयान यात्रा का भाग हो और वायुयान द्वारा की गयी यात्रा के लिये दिये गये किराये में सम्मिलित हो।

(2) यदि किसी उप मंत्री के लिये वायुयान द्वारा यात्रा करना लोकहित में आवश्यक हो तो वह उस मंत्री की पूर्व अनुज्ञा से, जिससे वह सम्बद्ध है, ऐसा कर सकता है। ऐसी यात्रा के लिये यात्रा भत्ता फाइनेन्शियल हैण्ड बुक खण्ड तीन के नियम 23 (बी बी) द्वारा विनियमित होगा।

उप मंत्री को यात्रा भत्ता

8—जब किसी उप मंत्री के लिये किन्हीं स्थानों के बीच, चाहे रेल द्वारा या सड़क द्वारा यात्रा करना सम्भव हो और यात्रा वस्तुतः में सड़क द्वारा की जाय, तब मील-भत्ता यह मानकर आंकलित किया जायगा मानो यात्रा रेल द्वारा की गयी थी जब तक कि सड़क द्वारा आंकलित मील भत्ता कम खर्चीला न हो उस स्थिति में मील भत्ता सड़क द्वारा की गई यात्रा मानकर आंकलित किया जायगा :

परन्तु जब मंत्री, जिससे वह सम्बद्ध है, द्वारा उप मंत्री से रेल के बजाय सड़क द्वारा यात्रा करने की अपेक्षा की जाय तब सड़क द्वारा की गई यात्रा के लिये अनुमन्य दर पर यात्रा भत्ता आहरित किया जा सकता है और ऐसे मामलों में यात्रा भत्ता बिल के समर्थन में ऐसे मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाण-पत्र होगा जिसमें ऐसी परिस्थितियों, जिनके अंतर्गत उप मंत्री को सड़क द्वारा यात्रा करने के लिये उसके द्वारा अपेक्षा की गयी है, और वे तथ्य की यात्रा लोकहित में की गई है, उल्लिखित होंगे।

उपमंत्री के साथ जाने वाले कर्मचारियों का यात्रा भत्ता

9—जब कोई उप मंत्री कर्तव्यस्थ यात्रा कर रहा हो तब यदि लोकहित में आवश्यक हो तो वह अपने साथ एक सहायक और दो से अनधिक अर्दली, चपरासी ले जा सकता है। इन कर्मचारियों का यात्रा भत्ता उन पर प्रयोज्य नियमों द्वारा विनियमित होगा।

निजी कार्य से यात्रा

10—निजी कार्य से यात्रा करने पर कोई उप मंत्री किसी यात्रा भत्ता का हकदार नहीं होगा परन्तु यदि ऐसे कार्य पर मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान उप मंत्री को सरकारी कार्य के निस्तारण के लिये अपने कर्मचारियों की सहायता अपेक्षित हो तो वह मंत्री, जिससे वह सम्बद्ध है, की अनुज्ञा से नियम 9 में विहित सीमा के भीतर अपने साथ अपने वैयक्तिक कर्मचारियों को ले जा सकता है। ऐसे कर्मचारी उसी यात्रा भत्ता के हकदार होंगे जो उन्हें कर्तव्यस्थ यात्रा के संबंध में मिलता।

यात्रा भत्ता बिल की विषय वस्तु

11—उप मंत्री के लिये यात्रा भत्ता के बिल में अपने उस कार्य की प्रकृति लिखना आवश्यक नहीं है जिसके लिये यात्रा की गई है, केवल इतना संकेत कर देना ही प्रर्याप्त होगा कि यात्रा लोकहित में और यथास्थिति मंत्री, जिससे वह सम्बद्ध है, की अनुज्ञा या अनुमोदन से की गई थी।

अवशिष्ट उपबन्ध

12—किसी उप मंत्री के यात्रा भत्ता के संबंध में कोई विषय जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली में उपबन्धित न हो सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में सरकारी सेवकों के लिये बनाये गये नियमों द्वारा नियंत्रित होगा।

13 (1)—उप मंत्री के यात्रा भत्ता बिल के प्रयोजनों के लिये वह मंत्री नियंत्रक अधिकारी होगा जिससे वह उप मंत्री सम्बद्ध है। नियंत्रक अधिकारी

(2) यात्रा भत्ता बिल के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति के मंत्री न रहने पर मुख्य मंत्री नियंत्रक अधिकारी होगा।

14—रेलगाड़ी में स्थान के आरक्षण के संबंध में सामान्य अनुदेश इस नियमावली की अनुसूची में दिये गये हैं। आरक्षण संबंधी अनुदेश

अनुसूची

रेलगाड़ी में स्थान के आरक्षण के संबंध में सामान्य अनुदेश

1—स्थान आरक्षित कराने वाले पदधारी से यह अपेक्षा की जायगी कि वह यात्रा करने के पूर्व आरक्षित स्थान में अपने साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये खरीदे गये टिकटों की संख्या और अन्य ब्योरा उस स्टेशन के, जहां से यात्रा आरम्भ की जाय, स्टेशन मास्टर से अधिग्रहण प्रपत्र में दर्ज करा लें। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि रेलवे द्वारा वसूल किये गये किराये के संबंध में सरकार और रेल प्राधिकारियों के बीच समायोजन किया जा सके।

2—मंत्री, अपने विवेक पर, अपने वैयक्तिक परिचारकों को अपने साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करने की अनुज्ञा दे सकता है किन्तु ऐसे स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उन बर्थों की संख्या तक सीमित होगी जिनके आरक्षण के लिये किराया दिया गया है।

3—जब किसी पदधारी के साथ उसके आरक्षित कम्पार्टमेन्ट में यात्रा कर रहे अध्यासियों की संख्या, उस न्यूनतम संख्या से जिसके लिये कम्पार्टमेन्ट जनता के लिये आरक्षित किया जा सकता है, अधिक हो तो उतने अध्यासियों का किराया, जो न्यूनतम संख्या से अधिक हो, रेलवे द्वारा रख लिया जायेगा।

टिप्पणी:—किराये का वह भाग जिसे रेलवे द्वारा नहीं रखा जाना है उस विभाग के नाम जो आरक्षित स्थान के कर्षण-प्रभार को वहन करे, रेलवे के उन बिलों में से काटकर जमा कर दिया जायेगा जो सम्बद्ध विभाग को प्रस्तुत किये जांय।

4—कर्तव्य के पालन के लिये की जाने वाली यात्रा के संबंध में रेलवे प्रशासन को अधिग्रहण भेजने के संबंध में विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर्तव्यवश यात्राओं से भिन्न यात्राओं की दशा में भी किया जायगा।

देय किराये को बाद में महालेखाकार द्वारा वसूल किया जायगा।

आज्ञा से,
रवीन्द्र शंकर माथुर,
मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2/1/1/87—CX—(1), dated October 13, 1997.

No. 2/1/1/87—CX—(1)

Dated Lucknow, October 13, 1997

In exercise of the powers conferred by section 13 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 (U.P. Act no. 14 of 1981) *read* with section 6 of the said Act and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in

supersession of Government notifications nos. 2/1/2/81—CX-1-II P.A.-14-1981-Rule-1982, dated August 17, 1982 and 2/1/1/81—CX-(1), dated August 1, 1983 whereby the Uttar Pradesh Ministers (Travelling Allowances) Rules, 1983 and the Uttar Pradesh Deputy Ministers (Travelling Allowances) Rules, 1982 respectively were Published, the Governor is pleased to make the following rules, namely :—

THE UTTAR PRADESH MINISTERS (TRAVELLING ALLOWANCES) RULES, 1997

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Ministers (Travelling Allowances) Rules, 1997.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Journeys on official duty by a Deputy Minister

2. A Deputy Minister may, subject to his informing the Minister to whom he is attached, perform a Journey on duty to any place within the State and with the previous sanction of the Government, he may perform a Journey on duty to a place outside the State. For audit purposes, a copy of the sanction of the Government shall be attached to the deputy Minister's travelling allowance bill in respect of a Journey outside the State.

Travelling facilities by railway

3. (1) A Minister, other than a Deputy Minister, when travelling by railway, shall be entitled to—

(a) a reserved compartment of the highest class avilable on the train by which the Journey is Performed;

(b) if the exigencies of the situation so warrant, a special carriage, when avilable;

(c) railway fares actually paid for not more than four personal attendants at the lowest class rates, whether they travel with him or precede or follow him;

(d) conveyance of all personal luggage, whether taken in the luggage van of the train or sent by another train;

(e) the whole cost of conveyance of a motor car, where it has been employed only for journeys made in the public interest.

NOTE (i)—A Minister, under this sub-rule may, without payment of any fares, take with him in the reserved accommodation the members of his family as also his Private Secretaries or such other official or non-official persons as may travel with him in the reserved accommodation upto the limit of the number of the fares charged by the railway for reserving the accommodation. Except in the circumstances specified in Note (3) below in the case of persons mentioned therein, fares shall be paid to the railway direct for such persons travelling in the reserved accommodation as exceed the number allowed by the railway, and in such case, the Minister reserving the accommodation should, before beginning the journey, have the number and other details of the tickets purchased for such persons entered in the requisition form by the Station Master of the station from which the Journey is commenced. This is necessary to avoid double payment being made to the railway in respect of other persons travelling with the Minister in the reserved accommodation.

(ii) A Private Secretary or any other Government servant, who accompanies a Minister in the reserved accommodation, shall not, unless his case falls under Note (3) below, be entitled for the journey to that portion of rail mileage which represents the cost of a ticket of the class of accommodation ordinarily admissible to him.

(iii) Where it is necessary in the public interest for a Private Secretary, Personal Assistant or a clerk to accompany a Minister in the reserved accommodation, he may do so even when the number of persons travelling in the reserved accommodation already exceeds the number of fares charged by the railway for reserving the accommodation provided that he purchases a ticket for the class of accommodation in which he is entitled to travel. In such a case, the Minister shall certify in the bill for his travelling allowance that it was in the public interest that the Private Secretary, Personal Assistant or the clerk travelled with him in the reserved accommodation and that he actually purchased a ticket of the class to which he was entitled. The cost of the ticket will not be deducted from the charge on account of haulage of reserved accommodation payable to the railway.

(iv) Where journey is performed by air conditioned accommodation, a coupe containing only two berth will normally be reserved, if available.

(2) For Journeys by rail on duty, a Deputy Minister shall be entitled to an air conditioned accommodation and a coupe containing only two berths shall normally be reserved if available. He may, without payment of any fares, take with him in the reserved accommodation any member of his family or any non-official person to the limit of the number of the fares charged by the railway for reserving the accommodation.

Out of pocket expenses

4. (1) A Minister, other than a Deputy Minister, shall be entitled for journeys performed in connection with the discharge of his official duties, whether in or outside Uttar Pradesh, but within India, to actual out of pocket expenses.

(2) Out of pocket expenses for halts shall be admissible to a Deputy Minister at the rate of rupees one hundred sixty per diem and no daily allowance shall be admissible to him separately. Incidental expenses shall, however, be admissible to him at the rates allowed to Government servants of the highest class.

Provision for travel by the members of the family of a Minister other than a Deputy Minister by railway

5. A Minister, other than a Deputy Minister, shall further be entitled to the railway fares actually paid for the members of his family, who may travel with him or proceed or follow him from his usual place of residence to his official headquarters or *vice-versa:*

Provided that this concession shall be restricted to fares for one journey each way, in one calendar year between his official headquarters and the usual place of residence.

Travelling facilities to Ministers by road

6. (1) When travelling by road, a Minister, other than a Deputy Minister, shall be entitled to charge actual travelling expenses for himself, members of his family and two personal attendants on his own certificate that the amount charged has been actually paid. Such expenses do not include any charge for the freight of stores or goods other than personal luggage, or any charge for refreshments hotel or staging bungalows.

Explanation—For the purposes of this rule stores taken for consumption on tour shall be treated as personal luggage.

(2) (a) If a Deputy Minister travels in a car or by other means of conveyance which is his own or which he has hired, he may draw travelling allowance under rule 27 (b) of the Financial Handbook, Volume III except the daily allowance in place of which he shall draw out of pocket expenses at the rate mentioned in sub-rule (2) of rule 4.

(b) If a Deputy Minister travel in his own car and the propulsion charges are paid by another Deputy Minister or Government Servant who accompanied him on the Journey, then he will be entitled to draw out of pocket expenses only at the rate mentioned in sub-rule (2) of rule 4.

(c) If Deputy Minister travels in a car or by other means of conveyance which is not his own or hired by him, then he shall be entitled to draw out of pocket expenses only at the rate mentioned in sub-rule (2) of rule 4.

(d) For mixed journeys partly by private or hired conveyance and partly by borrowed conveyance or a conveyance provided at the expense of the State a local fund or a local body, a Deputy Minister shall be entiled to travelling allowence for each type of journeys as a separate individual journey under clause *(a)* or clause *(c)* as the case may be, subject to the condition that he cannot draw more than what he could have drawn, had he covered the whole distance covered by the two journeys, in his own car or in a hired car.

(e) When a Deputy Minister hires a car jointly with another Deputy Minister or a Government servant and uses it for a road journey each of them shall be entitled to travelling allowance under rule 27 (B) of the Financial Handbook, Volume III, but the Deputy Minister shall, in place of daily allowance, be entitled to draw out of pocket expenses at the rate mentioned in sub-rule (2) of rule 4.

NOTE— A borrowed car of which the propulsion charges are paid by the Deputy Minister using it is equivalent to hiring a car.

Travel by air

7. (1) (a) A Minister, other than a Deputy Minister, may perform on duty journey by air to any part of India in an aircraft of public air transport company regularly plying for hire or in a machine owned or chartered by the Government of Uttar Pradesh and may take with him a companion in such journey.

(b) When travelling by air such Minister shall be entitled to draw the actual fare if paid for himself and his companion, if any, for the journey by air and if actually paid the cost of transporting personal luggage by rail at passenger rates or by road or by air and railway fares actually paid for not more than two personal attendants at the lowest class rates. If at either end of the journey by air such Minister has to perform a connected journey by rail or road he shall be entitled to draw travelling allowance admissible for such journey under rule 5 above. No allowance shall, however, be drawn in respect of the surface transport which forms part of air journey and is included in the fare paid for the air journey.

(2) If it is necessary in the public interest for a Deputy Minister to perform a journey by air, he may do so with the previous permission of the Minister to whom he is attached. Travelling Allowance for such journey will be regulated by rule 23 (BB) of the Financial Handbook, Volume III.

Travelling allowance to a Deputy Minister

8. When it is possible for Deputy Minister to travel between places either by rail or by road and the journey is actually made by road, the mileage allowance shall be calculated as if the journey had been made by rail unless the mileage allowance calculated by road is less expensive in which case the mileage allowance shall be calculated by road.

Provided that when a Deputy Minister is required by the Minister to whom he is attached to travel by road instead of by rail, travelling allowance may be drawn at the rate admissible for travel by road and in such cases the travelling allowence bill will be supported by a certificate signed by such Minister stating the circumstances which rendered it necessary for him to require the Deputy Minister to travel by road and the fact that the journey was performed in the public interest.

Travelling allowance of officials accompanying the Deputy Minister

9. A Deputy Minister, when travelling on duty, may, if it is necessary in the public interest, take with him one assistant and not more than two orderly peons. The travelling allowance of these officials shall be regulated by the rules applicable to them.

Travelling on private business

10. A Deputy Minister travelling on private business shall not be entitled to any travelling allowance, but if during his absense from headquarters on such business a Deputy Minister required the assistance of his staff for the disposal of Government work, he may, with the permission of the Minister to whom he is attached, take with him his personal staff within the limits prescribed in rule 9. Such staff shall be entitled to travelling allowance as for journeys on duty.

Contents of travelling allowance bill

11. It is not necessary for a Deputy Minister to state in his travelling allowance bill, the nature of the business on which a journey is performed. It is sufficient only to indicate that the journey was performed in the public interest and with the permission or approval, as the case may be, of the Minister to whom he is attached.

Residuary provisions

12. Any matter not specifically provided for in these rules in respect of travelling allowance of a Deputy Minister shall be governed by the rules made by the Government for Government servants subject to their control.

Controlling officer

13. (1) For the purposes of the travelling allowance bills of a Deputy Minister, the Controlling Officer will be the Minister to whom such Deputy Minister is attached.

(2) For the purposes of the travelling allowance bill a person who has ceased to be a Minister, the Chief Minister will be the Controlling officer.

Instructions regarding reservation

14. General instructions regarding reservation of accommodation in the railway train are given in the Schedule to these rules.

THE SCHEDULE

General Instructions as to Reservation of Accommodation in Railway train.

1. The official reserving the accommodation shall be required, before the commencement of the journey to have the number and other details of tickets purchased for the persons travelling with in him in the reserved accommodation entered on the requisition form by the Station Master of the station from which the journey is commenced. This is necessary in order to enable an adjustment to be made between the Government and the rialway authorities in respect of the fares realised by the Railway.

2. A Minister may at his discretion permit his personal attendants to travel with him in the reserved accommodation but the number of persons travelling in such accommodation should be limited to the number of berths paid for reserving it.

3. When the number of occupants travelling with an official in his reserved compartment is in excess of the minimum number of fares for which the compartment can be reserved for the public, fares for the number of occupants in excess of the minimum number of fares shall be retained by the Railway.

NOTE—The portion of fares which is not to be retained by the Railway shall be credited to the department which bears the charge for the haulage of the reserved accommodation by deduction from the bills of the railway submitted to the department concerned.

4. The prescribed procedure regarding requisitions to Railway administration, in regard to journey porformed on duty, shall be followed in the case of journeys otherwise than on duty, the fares payable being subsequently recovered by the Accountant General.

By order,
R.S. MATHUR,
Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी० 'ए०पी० 928 राजपत्र (हिन्दी)--17-12-97--(2019)--597--(कम्प्यूटर/आफसेट)।

केश शर्मा
सचिव

उत्तरांचल शासन
कार्मिक विभाग
देहरादून

उत्तरांचल शासन

अ.शा.पत्रांक 1476/एक-1-2001
दिनांक 3-6-2001

प्रिय महोदय,

शासन द्वारा आपको जनहित में मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के पद पर तैनात करने का निर्णय लिया गया है। अनुरोध है कि उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की कृपा करें।

आदर सहित

भवदीय,

(राकेश शर्मा)

श्री मधुकर गुप्ता
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त अवस्थापना
उत्तरांचल शासन

प्रतिलिपि:

1. सचिव श्री राज्यपाल को महामहिम के सूचनार्थ
2. सचिव मा. मुख्यमंत्री जी
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश
4. स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली
5. शासन के समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव
6. पुनर्गठन आयुक्त उत्तरांचल शासन, लखनऊ
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं
8. रजिस्ट्रार मा. उच्च न्यायालय उत्तरांचल नैनीताल
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल
11. मा.मंत्रीगण एवं मा. राज्य मंत्रीगण के निजी सचिवों मा. मंत्रीगण एवं मा.राज्य मंत्रीगण को सूचनार्थ।
12. इरला चैक अनुभाग, उत्तरांचल शासन

भवदीय,

(राकेश शर्मा)

संख्या 1477/एक-1-20..

कार्यभार प्रमाणक

कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या-1476/एक-1-2001 दिनांक जून, 2001 के कम में मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन का पदभार आज दिनांक 4 जून, 1 के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

(मधुकर गुप्ता)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ

- सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम के सूचनार्थ
- सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- मुख्य निवेश आयुक्त एवं स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल शासन, नई दिल्ली।
- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल, इलाहाबाद।
- शासन के समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव।
- पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल शासन, लखनऊ।
- रजिस्टार, मा. उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल।
- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- इरला चैक अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
- कार्मिक विभाग, उत्तरांचल शासन।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 17 जुलाई, 2002 ई0
आषाढ़ 26, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
गोपन (मंत्रि परिषद्) अनुभाग

संख्या 1/2/3/2002 सी0एक्स0
देहरादून, 17 जुलाई, 2002

अधिसूचना

विविध

श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, 2000) की धारा 86 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कार्य बंटवारा नियमावली, 1975 के नियम 3 के अधीन मुख्यमंत्री जी से सम्बद्ध राज्यमंत्रियों को विभाग/विषय आवंटित किये जाने के आदेश दिये हैं। अतएव मंत्री एवं मंत्रिगण के कार्य विभागों और उन्हें आवंटित विभागों/विषयों के संबंध में गोपन (मंत्रि परिषद्) भाग की एतद्विषयक समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 मार्च, 2002 के अनुक्रम में मा0 मुख्यमंत्री के [illegible] राज्य मंत्रीगण को आवंटित उत्तरांचल राज्य सरकार का कार्यप्रभार निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में होगा :–

अनुसूची

राज्यमंत्री

सं0	नाम	प्रस्तावित विभाग/विषय	मंत्री जिनसे सम्बद्ध होंगे
1	2	3	4
	श्रीमती अमृता रावत	1. महिला सशक्तीकरण 2. ऊर्जा विभाग	मुख्यमंत्री
	श्री किशोर उपाध्याय	1. औद्योगिक विकास	मुख्यमंत्री

1	2	3	4
2.	[illegible]	1. गन्ना विकास 2. चीनी उद्योग	मुख्यमंत्री

आज्ञा से,

(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या 1/XXV/2002-सी0एस0-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण, उत्तरांचल शासन।
5. निजी सचिव, समस्त मा0 राज्य मंत्रिगण, उत्तरांचल शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल, देहरादून।
9. [illegible] अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
10. [illegible] अनुभाग, उत्तरांचल शासन (दो प्रतियों में)।
11. समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
12. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
13. निदेशक, सूचना, उत्तरांचल, देहरादून।
14. महालेखाकार, तृतीय, जी0ए0-1 अनुभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
15. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, प्रेम बाजार, निशातगंज, लखनऊ।
16. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव।

एस0के0 (आर0ई0) 2 गोपन/136-2002-300 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या--025

पंजीकृत संख्या--यू0ए0/डी0एन0--30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, रविवार, 03 मार्च, 2002 ई0

फाल्गुन 12, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग

संख्या 1/2/3/2002--सी0 एक्स0

देहरादून, 03 मार्च, 2002

अधिसूचना

नियुक्ति

उत्तरांचल के राज्यपाल ने दिनांक 02 मार्च, 2002 के अपरान्ह से श्री नारायण दत्त तिवारी को उत्तरांचल का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है।

आज्ञा से,

(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या 1/2/3/2002--सी0 एक्स0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. सचिव, श्री राज्यपाल, देहरादून।
2. सचिव, मुख्य मंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण, उत्तरांचल शासन।
5. निजी सचिव, समस्त मा0 राज्य मंत्रिगण, उत्तरांचल शासन।

6. समस्त प्रमुख सचिव तथा सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
9. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तरांचल शासन (दो प्रतियों में)।
11. समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
12. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
13. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

(मधुकर गुप्ता)
मुख्य सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 12 गोपन/1169–2002–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–027

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 06 मार्च, 2002 ई0
फाल्गुन 15, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल सरकार

गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग

संख्या 1/2/3/2002–सी0एक्स0

देहरादून, 06 मार्च, 2002

अधिसूचना

विविध

मुख्यमंत्री, मंत्रिगण एवं राज्य मंत्रिगण की नियुक्ति विषयक गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग की समसंख्यक अधिसूचनाओं, दिनांक 02–03–2002 के अनुक्रम में उत्तरांचल के राज्यपाल ने, मुख्यमंत्री की सलाह पर, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 86 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कार्य बंटवारा नियमावली, 1975 के नियम 3 के अधीन मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को निम्नलिखित अनुसूची–एक में यथानिर्दिष्ट उत्तरांचल की राज्य सरकार का कार्यभार सौंपा है तथा राज्य मंत्रियों को अनुसूची–दो में यथानिर्दिष्ट, मुख्यमंत्री के साथ सम्बद्ध किया है। श्री राज्यपाल ने यह भी आदेश दिये हैं कि जो विभाग/विषय किन्हीं कैबिनेट मंत्री को आवंटित नहीं हैं वह विभाग/विषय मुख्यमंत्री को आवंटित होंगे।

अनुसूची

मंत्री

क्रम संख्या	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)	विभाग/विषय
1	2	3	4
1.	श्री नारायण दत्त तिवारी (मुख्यमंत्री)	गोपन, कार्मिक, सतर्कता, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, कारागार, न्याय, नियोजन, वित्त, व्यापार कर, नागरिक उड्डयन, शिष्टाचार, ऊर्जा, औद्योगिक विकास, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि	1. गोपन 2. कार्मिक (नियुक्ति सम्मिलित) 3. सतर्कता 4. सामान्य प्रशासन (प्रशासनिक सुधार सम्मिलित)

1	2	3	4
		शिक्षा, आवास, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, तीर्थाटन एवं धर्मस्व कार्य, निर्वाचन	5. सचिवालय प्रशासन 6. गृह (अभिसूचना, अभियोजन,मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, वीजा सम्मिलित) 7. नागरिक सुरक्षा 8. कारागार 9. होमगार्ड 10. न्याय एवं विधायी 11. नियोजन एवं वाह्य सहायतित परियोजनायें 12. वित्त (संस्थागत वित्त एवं अल्पबचत सम्मिलित) 13. व्यापार कर 14. स्टाम्प एवं निबन्धन 15. मनोरंजन कर 16. नागरिक उड्डयन 17. शिष्टाचार 18. ऊर्जा (वैकल्पिक ऊर्जा सम्मिलित) 19. औद्योगिक विकास 20. अवस्थापना विकास 21. उच्च शिक्षा 22. चिकित्सा शिक्षा 23. कृषि शिक्षा 24. आवास 25. महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास 26. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग 27. तीर्थाटन एवं धर्मस्व कार्य 28. संस्कृति 29. निर्वाचन
2.	[illegible] (श्रीमती) इन्दिरा [illegible]	लोक निर्माण, राज्य सम्पत्ति, संसदीय कार्य, सूचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1. लोक निर्माण 2. राज्य सम्पत्ति 3. संसदीय कार्य 4. सूचना 5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
3.	[illegible] सिंह नेगी	ग्राम्य विकास एवं पेयजल	1. ग्राम्य विकास 2. पेयजल
4.	[illegible]वीर सिंह सजवाण	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं लघु सिंचाई	1. सिंचाई 2. बाढ़ नियंत्रण 3. लघु सिंचाई

1	2	3	4
5.	श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी	प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा	1. प्राथमिक शिक्षा 2. माध्यमिक शिक्षा 3. प्रौढ़ शिक्षा 4. भाषा
6.	श्री हीरा सिंह बिष्ट	परिवहन, तकनीकी शिक्षा, श्रम, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण	1. परिवहन 2. तकनीकी शिक्षा 3. श्रम 4. सेवायोजन एवं प्रशिक्षण
7.	श्री तिलक राज बेहड़	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	1. चिकित्सा (आयुर्वेद एवं होम्योपैथी सम्मिलित) 2. स्वास्थ्य 3. परिवार कल्याण
8.	ले0 जनरल (से0नि0) तेजपाल सिंह रावत पी0वी0एस0एम0, वी0एस0एम0	पर्यटन, आबकारी एवं सैनिक कल्याण	1. पर्यटन 2. आबकारी 3. सैनिक कल्याण
9.	श्री महेन्द्र सिंह माहरा	कृषि, कृषि विपणन एवं जलागम प्रबन्धन	1. कृषि 2. कृषि विपणन 3. जलागम प्रबन्धन 4. भारत--नेपाल से सम्बन्धित उत्तरांचलीय नदी परियोजनायें
10.	श्री प्रीतम सिंह	पंचायती राज, ग्रामीण अभियन्त्रण, खेलकूद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	1. पंचायती राज 2. ग्रामीण अभियन्त्रण 3. खेलकूद एवं युवा कल्याण 4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
11.	डा0 हरक सिंह रावत	राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा जनगणना	1. राजस्व एवं भू--प्रबन्धन 2. आपदा प्रबन्धन 3. पुनर्वास 4. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 5. जनगणना
12.	श्री नव प्रभात	वन, पर्यावरण एवं शहरी विकास	1. वन एवं वन्य जन्तु 2. पर्यावरण 3. शहरी विकास 4. शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
13.	श्री राम प्रसाद टमटा	समाज कल्याण	1. समाज कल्याण (अनुसूचित जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्प--संख्यक कल्याण एवं महिला कल्याण सम्मिलित)

1	2	3	4
14.	श्री मंत्री प्रसाद नैथानी	सहकारिता, पशुपालन एवं दुग्ध विकास	1. सहकारिता 2. पशुपालन 3. मत्स्य पालन 4. दुग्ध विकास
15.	श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल	उद्यान, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग	1. उद्यान 2. फलोद्योग 3. लघु उद्योग 4. खादी एवं ग्रामोद्योग

अनुसूची–दो

राज्यमंत्री

क्र० सं०	नाम	मंत्री जिससे सम्बद्ध होंगे
1	2	3
1.	श्री अमृता रावत	मुख्यमंत्री
2.	श्री किशोर उपाध्याय	मुख्यमंत्री
3.	श्री साधू राम	मुख्यमंत्री

आज्ञा से,

मधुकर गुप्ता,
मुख्य सचिव।

संख्या 1/2/3/2002–सी० एक्स०, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
3. निजी सचिव, मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. निजी सचिव, समस्त मा० मंत्रिगण, उत्तरांचल शासन।
5. निजी सचिव, समस्त मा० राज्य मंत्रिगण, उत्तरांचल शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव तथा सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
8. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
9. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड फाईल अनुभाग, उत्तरांचल शासन (दो प्रतियों में)।
11. समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
12. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
13. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
14. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव, गोपन।

पी०एस०यू०(आर०ई०) 14 गोपन/1171–2002–300 (कम्प्यूटर/रीजियो)।